प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
आई0ए0एस0
निदेशक,
नगरीय परिवहन निदेशालय,
7वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त प्रबन्ध निदेशक,
सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड,
लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ,
वाराणसी एवं आगरा–मथुरा।

पत्रांकः 336 यूटीडी / 16–74यू0टी0डी0 / 16 **दिनांक 22.07.2016**

विषयः घाटे की प्रतिपूर्ति अथवा अन्य प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर अर्जित ब्याज की वापसी के संबंध में।

महोदय,

कृपया विषयांकित प्रकरण में अवगत है कि उ0प्र0 समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली–2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत एस0पी0वी0 को घाटे की प्रतिपूर्ति एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। जिसे एस0पी0वी0 द्वारा निर्देशानुपालन में भारतीय स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा में खोले गये लिंक्ड एकाउन्ट में रखा जा रहा है एवं आवश्यकतानुसार इसका प्रयोग किया जा रहा है।

आप स्वयं ही भिज्ञ है कि वित्तीय नियमों के अनुसार शासन द्वारा प्रदत्त करायी गयी धनराशि पर अर्जित ब्याज का प्रयोग किया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

अस्तु निर्देशित किया जाता है कि उक्त वर्णित नियमावली के अन्तर्गत विभिन्न मदो में उपलब्ध करायी गयी धनराशि को लिंक्ड खाते में ही रखा जाय एवं इस पर अर्जित ब्याज वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले निदेशालय के "यूपी डीयूटीएफ स्टेट नोडल एकाउन्ट" (खाता संख्याः 35406635067) में अन्तरित किया जाय।

उक्त से विचलन करना वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जायेगा तथा प्रबन्ध निदेशक व एस0पी0वी0 के वित्त अधिकारी (यथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) / सहायक लेखा अधिकारी / वरिष्ठ लेखाकार आदि) इस हेतु सीधे उत्तरदायी होगें एवं उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी, इस हेतु कम्पनी के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भी उत्तरदायी माने जायेगें।

भवदीय,

ह0

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपिः समसंख्यक / समदिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, नगर विकास विभाग, अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, वित्त(व्यय नियन्त्रण), अनुभाग–8, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ एवं आगरा को इस अनुरोध के साथ कि निदेशक मण्डल की बैठक के समय इसकी भी समीक्षा करने का कष्ट करें तथा इसे एक एजेण्डा के रूप में प्रत्येक बैठक में सम्मिलित कराने की कृपा करें।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

74UTD/16